



हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक :प. 5(53)HJU/GAD / (वरि. परामर्शदाता) / 2021/ 0592

दिनांक: 24-06-21

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में वरिष्ठ परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) पद के रूप में श्री अशोक के. नगावत को एक वर्ष के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक के. नगावत को प्रतिमाह 1,00,000/- परामर्श शुल्क प्रदान किया जाएगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अशोक कुमार शर्मा)

आरएस

कुलसचिव

दिनांक: 24-06-21

क्रमांक :प. 5(53)HJU/GAD / (वरि. परामर्शदाता) / 2021/ 0593. 0600
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
5. उप कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अगले वित्तीय वर्ष हेतु भी वित्त समिति एवं प्रबंध मंडल से स्वीकृति प्राप्त करें।
6. निदेशक, शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, खासाकोटी, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. समन्वयक, शोध, शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, खासाकोटी, जयपुर
8. श्री अशोक के. नगावत, 3 डी.एच.ए.- 9, पी.एच.डी. ऑफिस के पास, जवाहर नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप सेवाएँ प्रारम्भ करने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करें।
9. लेखा / संस्थापन / सामान्य प्रशासन / स्टोर / परीक्षा / शैक्षणिक अनुभाग, एचजेयू, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

राजीव गांधी विद्यामवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिवासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 017 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in